Volume-5, Issue-04, April 2018 ISSN: 2349-7637 (Online) [UGC Listed]

RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)

Research Paper

मध्यकालीन हरियाणा में सूफीवाद का विकास : हांसी के संदर्भ में

अनीता कुमारी

सहायक प्रोफेसर, इतिहास विभाग, एस पी एम कॉलेज फॉर वुमेन, (दिल्ली विश्वविधालय) वैस्ट पंजाबी बाग, दिल्ली

Abstract:
इस्लामिक रहस्यवाद को सूफीवाद भी कहा जाता है जिसने मध्याकालीन भारतीय मिश्रित संर्स्कति के निमार्ण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । मध्याकाल में वर्तमान हरियाणा क्षेत्र में सूफी गतिविधियां काफी फली फूली । प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यकालीन हांसी में हुई सूफी–गतिवधियों के इतिहास का वर्णन किया गया है। हांसी के प्रमुख सूफी सन्तो जैसे शाह नियामतुल्लाह, शेख फरीद, शेख जमालुद्दीन, शेख बुरहानुद्दीन, शेख कुतुबुद्दीन मुनाव्वर, शेख नुरुद्दीन से सम्बंधित घटनाओ का वर्णन किया गया है।ण

'मिस्टिक' शब्द यूनानी धर्मशास्त्र से यूरोपीय साहित्य में आया। अरबी–फारसी में इसे 'सूफी' शब्द से व्यक्त किया जाता है। जब हम सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि वास्तव में ये पर्यायवाची नहीं हैं। 'सूफी' शब्द में एक विशेष धर्मिक संकेत या अनुमान मिलता है तथा इसका व्यवहार केवल उन रहस्यवादियों के लिए होता था जो वास्तव में इस्लाम में विश्वास रखते थे।[1] ''तरीका या सूफीवाद एक व्यापक अर्थ का शब्द है इसे स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसका कोई एक सिधान्त नहीं है तथा हर सूफी कुछ मामलों में एक दूसरे से भिन्न नजर आता है।''[2] मुजीब का यह कथन सत्य प्रतीत होता है क्योंकि जब हम सूफीवाद का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि, इस शब्द का प्रयोग केवल रहस्यवादियों के लिए ही नहीं होता अपितु बाद में हम इसका प्रयोग उन फकीरों, दरवेशों आदि के लिए भी होता पाते हैं जो वास्तव में रहस्यवादी नहीं थे। सूफीवाद के सन्दर्भ में हमारे पास जो प्राचीनतम परिभाषा विद्यमान है, उसके अनुसार इसे 'दैवीय सत्यों को समझना' कहा गया है तथा इस्लामी रहस्यवादी अपने आप को 'अल–हक' कहलवाना बहुत पसन्द करते थे, जिनका अर्थ था वास्तविक अल्लाह के अनुयायी।[3] आरम्भिक सूफी वास्तव में रहस्यवादी होने की अपेक्षा सन्यासी व शान्तवादी प्रवृति के थे...... तथा सूफी शब्द साहित्य में सबसे पहले निश्चित वर्ग के सन्यासियों के लिए प्रयुक्त होता था।[4] मदीना से यह संन्यासी आन्दोलन जो मुख्यतः ईसाईयत प्रभाव से था, कुफा, बसरा, दमिश्क, बगदाद, खुरासान और सिन्ध तक फैल गया।

सूफी शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में काफी वाद–विवाद रहा है। अलग–अलग विद्वानों ने अपने तर्कों सहित इस सम्बन्ध में भिन्न–भिन्न शब्दों से इसकी उत्पत्ति बताई है। परन्तु आजकल जिस परिभाषा का अधिक समर्थन किया जाता है उसके अनुसार सूफी शब्द 'सूफ' से लिया गया है। यह ऊन का बना हुआ एक प्रकार का लबादा था। सूफी उसे कहा जाता था, जो इस प्रकार के वस्त्र धारण करता था। अर्थात् सूफियों की अलग पौशाक उनके लबादे का एक टुकड़ा होता था जिसे खिरका के रूप में जाना जाता था। यह आमतौर पर नीला होता था तथा यह रंग मातम का प्रतीक माना जाता था। सूफीवाद के अभ्यास, तसव्वुफ को आगे सूफियों द्वारा एक सिद्वान्त के रूप में व्यक्त किया गया।[5]

हिन्दुस्तान का इस्लामी जगत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध, मुहम्मद बिन कासिम के सिन्ध पर आक्रमण करने के पूर्व से ही कायम था। अरबों का भारत के साथ व्यापार मालाबार तट तथा गुजरात से होता था। 7वीं सदी तक अरबों ने मालाबार तट पर अपने स्थाई निवास भी बना लिये थे।[6] जहाँ तक सूफी मत के भारत में नियमित आगमन व प्रसार का प्रश्न है तो प्रतीत होता है कि यह उसी रास्ते से हुआ जिस रास्ते से तुर्क आक्रमणकारियों ने भारत में प्रवेश किया था। बाद की शताब्दियों में खैबर दर्रा भारत में प्रवेश का मुख्य द्वार था अतः इस बात की बड़ी सम्भावना है कि सूफी तथा अन्य घुमक्कड़ मुस्लिम दरवेश उत्तर–पश्चिम दिशा से ही भारत में आये हों।[7]

वर्तमान हरियाणा, भौगोलिक व सामाजिक दृष्टि से मध्यकाल में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो अनेक प्रसिद्व लड़ाइयों का दृष्टा

---

1 रेनाल्ड ए. निकल्सन, *द् मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम,* लन्दन, 1966, पृ. 3

2 एम. मुजीब, *द इण्डियन मुस्लिमस्, दिल्ली,* नया संस्करण, 1995, पृ. 114

3 निकल्सन, *पूर्व उद्वृत,* पृ. 1

4 संजय सुबोध, *हिस्टोरियन्स ऑपफ मिडिवल इण्डिया,* देहली, 2003, पृ. 103

5 डेविड वेन्स, *एन इन्ट्रॉडक्सन टू इस्लाम,* कैम्ब्रिज, 1995, पृ 137

6 ताराचन्द, *इनफ्लूऐस ऑफ इस्लाम ऑन इण्डियन कल्चर,* इलाहाबाद, 1946, पृ. 32

7 एम. सुलेमान सिद्दकी, 'ऑरिजन एण्ड डिवलपमैन्ट ऑफ द् चिश्ती आर इन डक्कन 1300–1558 ए. डी.', *इस्लामिक कल्चर,* जुलाई, 1977, जिल्द 51, पृ. 210. ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनके अनुसार दक्षिणी भारत में मुस्लिम धर्म–प्रचारक सक्रीय थे, जहाँ प्रतीत होता है कि उन्होंने आम जनता के मध्य एक सामान्य आध्यात्मिक ज्योति जगाई। परन्तु इसके स्रोत अपूर्ण व कम हैं। इन धर्म–प्रचारकों के व्यक्तिगत विचार, उनके काम करने के तरीके के बारे में कम ही ज्ञात है। भारत में सूफीवाद के प्रसार की नदी उत्तर से ही बही । एम. मुजीब, द् इण्डियन मुस्लिमस्, पृ. 116

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

रहा है। दिल्ली व उत्तर–पश्चिमी सीमा के मध्य स्थित होने के कारण इस दिशा से होने वाली किसी भी घटना का यहाँ के लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता रहा है। यह क्षेत्र भारतीय इतिहास के प्राचीन काल से मध्यकाल में प्रवेश का प्रत्यक्ष गवाह रहा है। मध्यकाल में हरियाणा एक स्वतंत्र ईकाई नहीं था अपितु इसके क्षेत्र दिल्ली, आगरा, अजमेर, लाहौर जैसी प्रशासनिक ईकाईयों के अधीन आते थे। अच्छी शासन व्यवस्था व शान्ति के कारण यहाँ मध्यकाल में सास्कृतिक गतिविधियाँ काफी फली–फूली। अतः जब दिल्ली प्रसिद्व सूफियों का स्थान बन गया तो यहाँ भी सूफियों ने अपनी 'खानकाह' स्थापित की। 14वीं सदी के आरम्भ में एक यात्री ने दमिश्क में शिहाबुद्दीन अल उमरी से कहा था कि दिल्ली व इसके आसपास के क्षेत्रों में 2000 के करीब 'खानकाह' है।[8] स्पष्ट है कि इनमें वे 'खानकाह' भी शामिल थी जो इस वक्त हरियाणा क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

सल्तनत् काल के दौरान हरियाणा में मुख्य चिश्ती केन्द्र हांसी था। यह मुल्तान और देहली को मिलाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था।[9] हांसी उस समय एक महत्वपूर्ण छावनी था[10] तथा यह चिश्ती और सुहावर्दी सिलसिलों की सीमा माना जाता था।[11]

हांसी में हमें सर्वप्रथम जिस सूफी सन्त का जिक्र मिलता है वे हैं हजरत सैयद शाह नियामतुल्लाह। ये मुहम्मद गोरी के हांसी पर आक्रमण व विजय के समय यहाँ आये थे। हालांकि यहाँ वे एक लड़ाई में मारे गए परन्तु वे एक शहीद के रूप में प्रसिद्व हो गए।

हांसी में निश्चित व स्थाई रूप से सूफी परम्परा की शुरूआत *शेख* फरीदुद्दीन के हांसी आगमन के पश्चात् हुई। *शेख* फरीदुद्दीन, जमालुद्दीन सुलेमान के पुत्र थे जो फरूखशाह काबली के वंशज थे। इनका जन्म स्थान मुल्तान के समीप खोतवाल नामक गांव था। मुल्तान में ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मिले तथा उनके साथ दिल्ली आकर उनके अनुशासन में प्रशिक्षित हुए। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे कुतुबुद्दीन के साथ न आकर बाद में दिल्ली आये।[12] समय व्यतीत होने के साथ वे एक पवित्र 'दरवेश' के रूप में प्रसिद्व होने लगे तथा लोगों की भीड़ उनके इर्द–गिर्द जमा होने लगी लेकिन *शेख* फरीद ने इसे अपनी भक्ति–भावना व योग–साध्ना में रूकावट का स्रोत माना तथा उन्होंने दिल्ली छोड़कर हांसी रहने का निश्चय किया।[13] इस समय उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के निर्देशन में अपना रहस्यवादी अनुशासन पूर्ण किया था। हांसी एक सैनिक छावनी थी तथा *शेख* फरीद को लगा की वह यहाँ लोगों द्वारा अपना ध्यान भंग न किये जाने के कारण अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं को पूर्ण कर सकते थे।[14] यहीं जमालुद्दीन ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। ये उनके प्रिय शिष्य थे तथा कहा जाता है कि यहा उनके प्रति प्यार का ही प्रतीक था कि *शेख* फरीद 12 वर्ष हांसी में रहे। हालांकि यह पता लगाना मुश्किल है कि वे कितनी अवधि तक हांसी में रहे, 'शायद वे 19 या 20 साल यहाँ रुके।'[15] *शेख* फरीद अपने '*पीर*' की मृत्यु के अवसर पर हांसी से दिल्ली चले गए। दिल्ली के लोग चाहते थे कि *शेख* वहाँ स्थाई रूप से रहे परन्तु हांसी के लोगों ने एक संदेशवाहक को दिल्ली भेजा जो *शेख* के पैरों में गिर गया तथा उनसे हांसी लौटने प्रार्थना की। *शेख* फरीद ने इस आग्रह को स्वीकार का लिया।[16] इस बार वे हांसी में ज्यादा समय तक नहीं रहे तथा हांसी में जलालुद्दीन को अपना प्रतिनिधि बनाकर अजोधन में स्थाई रूप से रहने लगे[17] जहाँ 1265 ई. में उनका देहान्त हो गया।[18]

अमीर खुर्द, *शेख* फरीद के मुरीदों में हांसी के *शेख* जमालुद्दीन का जिक्र करता है।[19] *शेख* जमालुद्दीन कूफा के अबु हानिफ के वंशज थे तथा उस समय हांसी के 'खातिब' के पद पर नियुक्त थे।[20] इनके पिता का नाम हमीदुद्दीन व चाचा का नाम नियामतुल्लाह था। जमालुद्दीन को इनके पिता की मृत्यु के पश्चात् ही हांसी का प्रशासन सौंपा गया। इनके पास अथाह सम्पत्ति थी। बाद में ये *शेख*

---

[8] के.ए. निजामी, सम् *आस्पैकट्स ऑफ रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया ड्यूरिंग द् थर्टीन्थ सेन्चुरी,* अलीगढ़, 1961, पृ. 175

[9] क्रिश्चियन स्टॉल, *मुस्लिम सराईन्स इन इण्डिया,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रैस, दिल्ली, 1992, पृ. 17

[10] के.ए. निजामी, *द् लाईफ एण्ड टाईम्स ऑफ शेख फरीदुद्दीन गंज–ए–शक्कर, अलीगढ़,* 1955, पृ. 13

[11] के.ए. निजामी, *सम् ऑस्पेक्ट्स ऑफ रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स,* पृ. 176 पाद–टिप्पणी चतुर्थ

[12] अबुल फजल, *आईन–ए–अकबरी, जिल्द तृतीय, अंग्रेजी अनुवाद एच. ब्लाकमैन,* कलकत्ता, 1948, पृ. 404

[13] एस. मोईनुल हक, 'राईज एण्ड एक्सपैन्सन ऑफ द् चिश्तीज इन द् सबकॉन्टिनेंट', *जनरल ऑफ पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाईटी, जिल्द द्विविशंति, भाग चतुर्थ,* कराची, 1974, पृ. 210, देखें रिजवी, *ए हिस्ट्री ऑफ सूफीज्म इन इण्डिया, जिल्द प्रथम,* नया संस्करण 1997, प्रथम संस्करण, 1978,, पृ. 139–140

[14] हांसी में एक मनोरंजक घटना उन्हें प्रकाश में ले आई। मौलाना नूर तुर्क नामक एक प्रसिद्व रहस्यवादी, जो एक ओजस्वी वक्ता थे, जब हांसी पहुंचे तो शेख फरीद उनके विचारों को सुनने गये। उनके कपड़े चिथड़े हो चुके थे तथा उनके बाहरी व्यक्तित्व से भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था जिससे लगे कि वे एक गहरे धर्मिक व्यक्ति थे। व्यक्तिगत रूप से भी वे आपस में नहीं जानते थे। लेकिन जैसे ही शेख फरीद ने सीढ़ियों पर कदम रखा, मौलाना नूर तुर्क ने चिल्लाकर कहा : ''ओ मुसलमानों! सत्य वचनों का निर्वाह करने वाले 'सर्राफ–ए–सखा' आ गए हैं।'' सभी की उतावली ऑंखे शेख फरीद की ओर घूम गई। नूर तुर्क द्वारा की गई प्रशंशाओं के कारण वे हांसी में भी प्रसिद्व हो गए तथा बड़ी संख्या में लोग इनके पास आने लगे। *निजामी, द् लाईफ एण्ड टाईम्स ऑफ शेख फरीदुद्दीन गंज–ए–शक्कर,* पृ. 31–32

[15] वही, पृ. 31–32

[16] एस. मोइनुल हक, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 210, पाद–टिप्पणी, द्वितीय

[17] एस.ए.ए. रिजवी, *पूर्व उद्धृत* पृ. 140

[18] बदायूनी, *मुन्तखब उत् तवारीख, जिल्द तृतीय, अंग्रेजी अनुवाद टी. वुल्जले हेग,* पटना, 1973, पृ. 19 पाद– टिप्पणी प्रथम

[19] अन्य छः मुरीद थे – 1. शेख नजीबुद्दीन मुतव्किल 2. शेख बदरूद्दीन इश्हाक 3. शेख अली शबीर 4. शेख अफीक 5 मौलाना फखरूद्दीन सफहानी 6. शेख निजामुद्दीन औलिया निजामी, *सम् आस्पैक्ट्स ऑफ रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स,* पृ. 192

[20] अबुक फजल, *आईन–ए–अकबरी, जिल्द तृतीय,* पृ. 411

फरीद के सम्पर्क में आ गए और इन्होंने *शेख* का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया।[21]

शेख फरीद, जमालुद्दीन की भक्ति–भावना ओर प्रार्थना से बहुत प्रभावित हुए, अतः अब उन्होंने हांसी छोड़ दिया तो वहाँ का 'खिलाफतनामा' जमालुद्दीन को सौंप दिया। जमालुद्दीन ने भी अपना कर्तव्य शुद्व अन्तःकरण से पूरा किया।

जमालुद्दीन के प्रति *शेख* का प्यार इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि *शेख* हांसी में 12 वर्ष तक रहे। *शेख* फरीद अक्सर कहा करते थे कि जमाल हमारा 'जमाल' सुन्दरता है।[22] विलासिता का जीवन व्यतीत करने के कारण जमालुद्दीन को आरम्भ में फकीरी जिन्दगी बड़ी कठिन लगी। एक अवसर पर उन्होंने निजामुद्दीन औलिया से *शेख* फरीद को अपने कठिनाईयुक्त जीवन के बारे में बताने की प्रार्थना की तो *शेख* फरीद ने उत्तर दिया ''उसे बता दो कि जब एक 'विलायत' किसी को सौंपी जाती है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह इसका भार सहन करे।''[23]

शेख जमालुद्दीन की पवित्रता व परिपक्वता का अन्दाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि *शेख* फरीद अपने जिस मुरीद को 'खिलाफतनामा' प्रदान करते थे तो पहले उसे जमालुद्दीन के पास भेजते थे जिसके अनुमोदन के पश्चात् ही वह प्रभावी होता था। अगर जमालुद्दीन उसे अनुमोदित नहीं करता था तो वे कहते थे कि ''जिसके जमाल ने टुकड़े कर दिये, उसे वे भी नहीं सुधर सकते।''[24]

शेख जमालुद्दीन एक विद्वान के रूप में भी उभरे। उनकी दो पुस्तकें हमें प्राप्त होती हैं– एक तो अरबी में लिखी गई 'मुलहामत' तथा दूसरी फारसी में 'दीवान'।[25] *शेख* फरीद के साथ उनका सम्पर्क लगातार बना रहा। *शेख* जमालुद्दीन ने सात बार अजोध्न की यात्रा की। *शेख* जमालुद्दीन की मृत्यु अपने '*पीर*' के जीवनकाल में ही हो गई।[26] 1260 ई. में हांसी में इनका देहान्त हो गया।

शेख जमालुद्दीन की मृत्युपरान्त *शेख* फरीद ने उसके पुत्र बुहरानुद्दीन को अपना शिष्य बनाया तथा अपनी देख–रेख में कुछ दिन उसकी देखभाल कर उसे 'खिलाफत' प्रदान कर दी।[27] *शेख* फरीद उसके प्रति भी गहरा लगाव रखते थे। यह कहा जाता है कि जमाल की मृत्यु के पश्चात् उनकी स्त्री–सेविका, जो 'उम–उल–मोमनीन' के नाम से जानी जाती थी, बुरहानुद्दीन को बाबा के पास ले गई और कहा, ''ख्वाजा बुरहानुद्दीन बच्चा है।'' तो *शेख* फरीद ने उत्तर दिया ''पूनम का चाँद भी 'बाल' होता है।''[28] इस अवसर पर फरीद ने उसे प्रार्थना के समय प्रयोग होने वाली चटाई और सौटा भेंट किया।[29] उसे अपनी शिक्षा पूरी करने हेतु *शेख* निजामुद्दीन औलिया के पास जाने को कहा। *शेख* ने 'खिलाफतनामा' को छोड़ कोई शिष्य नहीं बनाया।[30] वे अक्सर कहते थे कि *शेख* 'निजामुद्दीन' औलिया के रहते वे शिष्य नहीं बना सकते।[31]

हांसी में इस प्रसिद्व सूफी परम्परा के अगले सूफी कुतुबुद्दीन मुनाव्वर थे। ये *शेख* बुरहानुद्दीन के पुत्र तथा *शेख* निजामुद्दीन औलिया के शिष्य व प्रतिनिधि थे।[32] इनका बचपन 'जमातखाना' के उच्च रहस्यवादी वातावरण में व्यतीत हुआ। जब इन्होंने 'खिलाफतनामा' प्राप्त किया तब *शेख* नसीरूद्दीन चिराग ने इन्हें बधाई देते हुए उन रहस्यवादी अनुभवों का वर्णन करने को कहा जो

---

[21] अबुल फजल, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 411, शेख फरीद के शिष्यत्व का अर्थ था, भौतिक सम्पति का निषेध। रिजवी, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 153. शेख फरीद अपने शिष्यों से सरकार से सम्बन्धित हर प्रकार की नौकरी से मुक्ति चाहते थे अतः जमालुद्दीन ने 'खातिब' का पद भी छोड़ दिया निजामी, *द् लाईफ एण्ड टाईम्स ऑफ शेख फरीदुद्दीन गंज–ए–शक्कर,* पृ. 69. एक बार जब जमालुद्दीन की तबियत अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी महिला शिष्या को शेख फरीद के पास भेजा। शेख ने एकदम उससे पूछा, ''मेरा जमाल कैसा है'' उसने उत्तर दिया, ''जब से ख्वाजा आपके शिष्य बने हैं, तब से उन्होंने अपना गांव, दौलत व 'खातिब' का कार्यालय छोड़ दिया है। वे भूख व अभावग्रस्तता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।'' यह सुनकर शेख फरीद खुश हुये तथा कहा, ''अल्लाह खुश होगा, वह जमाल भी खुश हो''। निजामी, द् लाईफ एण्ड टाईम्स ऑफ शेख फरीदुद्दीन गंज–ए–शक्कर, पृ. 69। उपर्युक्त बातें हमें चिश्ती सम्प्रदाय की दार्शनिक धरणाओं से भी अवगत कराती हैं कि किस प्रकार कोई सूफी अपने आप को राज्य या किसी भी बन्धन से दूर रखता था।

[22] एक बार जब प्रसिद्व सुहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने शेख फरीद से अपने सभी शिष्यों के बदले शेख जमाल को लेने की बात कही तब शेख फरीद ने उत्तर दिया कि, धन सम्पत्ति के मामलों में तो इस तरह का व्यापार हो सकता है, परन्तु 'जमाल' के सन्दर्भ में ऐसा सम्भव नहीं है । रिजवी, *हिस्ट्री ऑफ सूफीज्म,* जिल्द प्रथम, पृ. 153

[23] निजामी, *द् लाईफ एण्ड टाईम्स ऑफ शेख फरीदुद्दीन गंज–ए–शक्कर,* पृ. 6

[24] अबुल फजल, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 411. हमें इस सम्बन्ध में एक उदाहरण मिलता है कि एक बार शेख फरीद ने किन्हीं कारणो या 'दबाव' से एक शिष्य को 'खिलाफतनामा' भेंट कर दिया था परन्तु जमाल ने वह सनद ही फफाड़ दिया. रिजवी, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 153

[25] वही, पृ. 153. 'मुलहामत' सूफी परिभाषाओं से युक्त है जिसके भाव मीठे हैं तथा विचारों में उद्भव भी है। यह एक सामान्य रहस्यवाद से सम्बन्धित कार्य है जो, विशेषकर, भारतीय परिस्थितियों से सम्बन्धित नहीं है। 'दीवान' इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण है। यह समकालीन धर्मिक विचारों और संस्थाओं पर काफी प्रकाश डालता है । निजामी, *रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स,* पृ. 269

[26] क्रिश्चियन स्टॉल, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 17

[27] एस. मोईनुल हक, 'राईज एण्ड एक्सपेन्सन ऑफ द् चिश्तीज इन द् सबकौन्टिनैन्ट', *जनरल ऑफ द् पाकिस्तान हिस्टोरिकल सोसाईटी, जिल्द द्विविंशति, भाग चतुर्थ,* कराची, 1974, पृ. 218. क्रिश्चियन स्टॉल, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 17

[28] रिजवी, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 153

[29] निजामी, *रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स,* पृ. 193, पाद–टिप्पणी 3

[30] एस. मोइनुल हक, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 218

[31] निजामी, *रिलिजन एण्ड पॉलिटिक्स,* पृ. 193

[32] अबुल पफजल, *आईन–ए–अकबरी, जिल्द तृतीय,* पृ. 415. क्रिश्चियन स्टॉल, *पूर्व उद्धृत,* पृ. 17

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

शेख कुतुबुद्दीन ने *शेख* निजामुद्दीन से प्राप्त किये थे। इस पर *शेख* कुतुबुद्दीन ने उत्तर दिया ''उनके निजामुद्दीन औलिया के सुझाव रहस्यों से युक्त हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों के सामने प्रदर्शित किये। ये एक '*पीर*' द्वारा प्रदान किये जाते हैं तथा हर किसी के सामने इनका भेद नहीं खोला जाता। जो मुझे प्रदान किये गये हैं वो मेरे हैं तथा जो तुम्हें प्रदान किये गए हैं वो तुम्हारे हैं।''[33] इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि निजामुद्दीन औलिया का कुतुबुद्दीन के प्रति विशेष लगाव था।

शेख कुतुबुद्दीन को हांसी में रहने की अनुमति मिली। उनके प्रस्थान के समय *शेख* निजामुद्दीन औलिया ने उसको 'आवारिफ–उल–मारीपफ' की एक प्रति दी, जिसे उसके दादा *शेख* जमालुद्दीन ने अपने पौत्र को देने के लिए दी थी। शेख जमालुद्दीन ने इसे मूल रूप से *शेख* फरीद से अपना 'खिलाफतनामा' प्राप्त करने के समय ली थी।[34] *शेख* कुतुबुद्दीन की प्रसिद्दि दिनो–दिन आम जनता में फैलने लगी जिससे सूफी आन्दोलन के शत्रुओं को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने सुल्तान मुहम्मद तुगलक के सामने *शेख* के खिलाफ बातें कही। परन्तु सुल्तान को कोई अवसर नहीं मिला जिसके बहाने वह *शेख* को दण्ड दे सके। सुल्तान ने *शेख* कुतुबुद्दीन को भौतिकवादी व सांसारिक मनोवृत्ति में बांधकर दण्ड देने का निश्चय किया। सुल्तान ने काजी कमालुद्दीन को 'मदद–ए–माश' के रूप में दो गांवों का फरमान देकर *शेख* के पास भेजा तथा काजी से कहा कि किसी भी तरह ये 'फरमान' *शेख* को भेंट कर दे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ बल्कि *शेख* कुतुबुद्दीन ने *शेख* फरीद व बलबन का उदाहरण देकर कहा कि, ये हमारे लिये नहीं हैं अपितु जिन लोगों को इनकी जरूरत है, ये उन्हें दे दो। साथ ही *शेख* ने काजी को उसके कर्तव्य का अहसास दिलाते हुए कहा कि, उसे तो उन व्यक्तियों को समझाना चाहिए जो सूफियों को ऐसे प्रलोभन में डालते हैं। काजी शर्मीन्दा होकर वहाँ से चला गया तथा सुल्तान के सामने *शेख* के व्यक्तित्व की प्रशंसा की। सुल्तान का मन कुछ हद तक नरम हो गया।[35] इसके पश्चात् सुल्तान ओर *शेख* कुतुबुद्दीन के मध्य किसी तरह के संवाद की जानकारी हमें नहीं मिलती। *शेख* कुतुबुद्दीन और सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के बीच पुनः टकराव तब पैदा होता है जब सुल्तान एक अभियान के दौरान रस्ते में हांसी रूके।

हांसी प्रवास के दौरान जब *शेख* कुतुबुद्दीन, सुल्तान से मिलने नहीं गये तो इसे सुल्तान ने अपना अपमान समझा। उन्होंने एक अन्य *शेख*, हसन बरहना को *शेख* कुतुबुद्दीन को बुलाने के लिए भेजा। *शेख* कुतुबुद्दीन ने हसन से पूछा कि, ''तुम्हारे साथ जाने या न जाने सम्बन्धी मुझे अधिकार है या नहीं'' जब हसन ने कहा कि उसे यह आदेश मिला है तो *शेख* ने ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कहा, ''ईश्वर को ध्न्य है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ।'' वे अपने पुत्र नुरूद्दीन को भी अपने साथ लेकर गए। जब वे सुल्तान से मिलने दरबार में जा रहे थे तो उन्हें आभास हो गया कि नुरूद्दीन डरे हुए थे। इस पर *शेख* कुतुबुद्दीन ने कहा, ''बाबा नुरूद्दीन! ऐश्वर्य केवल अल्लाह को प्राप्त है।'' यह सुनकर नुरूद्दीन का साहस बढ़ा और वे बेखौफ हो गए। दरबार में जैसे ही 'सुल्तान' ने '*शेख*' से हाथ मिलाया, वे उससे बहुत प्रभावित हुए। '*शेख*' की आडम्बर–रहित बातों से सुल्तान का हृदय नरम हो गया। इसके पश्चात् *शेख* हांसी लौट आये। सुल्तान कहा करते थे कि ''जब कोई सूफी मुझसे हाथ मिलाता था तो उसका हाथ कांप जाता था, किन्तु इस बुजुर्ग ने ध्र्म की शक्ति से मेरे हाथ दृढ़तापूर्वक पकड़ लिए। मैं समझ गया हूँ कि ईर्ष्यालुओं ने जो कुछ मुझसे कहा था वह असत्य है। मैंने उसके ललाट पर धर्म का तेज देखा है।'' इस घटना के पश्चात् सुल्तान ने फिरोज वजिया बरनी को दो लाख टंके देकर '*शेख*' के पास भेजा। काफी अनुरोध के पश्चात् '*शेख*' ने केवल 2000 टंके ही स्वीकार किए। इनमें से भी अधिकांश उन्होंने जरूरतमंदो में बांट दिये। '*शेख*' ने कहा, ''वह हजारों टंके लेकर क्या करेगा, उसे तो दो सेर खिचड़ी तथा थोड़ा सा घी ही पर्याप्त होता है।''[36]

उपरोक्त घटनाओं के पश्चात् '*शेख*' कुतुबुद्दीन के प्रति जिन लोगों ने 'सुल्तान' के सामने उसके खिलाफ झूठी बातें कही थी, उन लोगों का मुंह बन्द हो गया, वहीं आम जनता में भी '*शेख*' के प्रति भक्ति में इजाफा हुआ होगा। सुल्तान मुहम्मद की मृत्यु के पश्चात् फिरोज 'सुल्तान' बना। *शेख* कुतुबुद्दीन ने कई सन्दर्भों में इस बात को कहा कि 'सुल्तान' फिरोज 'तरीकत' की संगत में से एक '*शेख*' है जो राजमुकुट धरण कर राजसी सिहांसन पर बैठा है।[37] जिस समय 'सुल्तान' फिरोज थट्टा से दिल्ली जा रहे थे, सरसुती पहुँचने पर '*शेख*' नसीरूद्दीन महमूद ने 'सुल्तान' से कहा कि यहाँ तक तो हम अपनी प्रार्थनाओं के कारण सुरक्षित आ गये हैं। आगे दिल्ली तक '*शेख*' कुतुबुद्दीन की विलायत है। अतः सपफलता के लिए '*शेख*' से प्रार्थना करो। 'सुल्तान' ने '*शेख*' कुतुबुद्दीन को एक प्रार्थना पत्र लिखा तथा '*शेख*' ने 'सुल्तान' को दिल्ली प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। '*शेख*' नसीरूद्दीन ने यह बात लोगों में *शेख* मुनाव्वर की प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कही, वरना दोनों '*शेख*' आपस में बहुत नजदीक थे, दोनो एक ही गुरू के शिष्य थे तथा दोनों ही उम्र के अन्तिम पड़ाव में थे।[38]

हांसी पहुंचने पर 'सुल्तान' फिरोज जिस समय '*शेख*' से मिलने गए उस समय '*शेख*' अपने रहने के स्थान से अभी–अभी शुक्रवार की प्रार्थना करने आये थे। '*शेख*' ने अपने दादा '*शेख*' जमाल का पवित्र अंगरखा डाला हुआ था तथा वे अपने दादा की तरह

---

33 रिजवी, *पूर्व उद्दृत*, पृ. 178
34 *वही*, पृ. 178
35 अमीर खुर्द, 'सियरूल औलिया', हिन्दी अनुवाद रिजवी, *तुगलककालीन भारत, भाग प्रथम*, अलीगढ़, 1956, पृ. 145
36 *वही*, पृ. 145–147
37 शम्स–ए–सिराज अफीफ, *तारीख–ए–फिरोजशाही*, अंग्रेजी अनुवाद आर.सी. जौहरी, दिल्ली 2001, पृ. 35. देखें अफीफ, 'तारीख–ए–फिरोजशाही', हिन्दी अनुवाद, रिजवी, *तुगलककालीन भारत, जिल्द द्वितीय*, पृ. 52
38 अफीफ, *तारीख–ए–फिरोजशाही*, हिन्दी अनुवाद रिजवी, पृ. 56

चमक रहे थे। सुल्तान ने *'शेख'* से हाथ मिलाया। परन्तु *'शेख'* मुनाव्वर सुल्तान से प्रार्थना के बाद ही मिले। *'शेख'* ने मिलने के दौरान 'सुल्तान' को कुछ नसीहतें दी। उनमें से एक शराब छोड़ने से सम्बन्धित थी। *'शेख'* मुनाव्वर ने सुल्तान को शराब छोड़ने हेतु कहा क्योंकि यह लोगों की सेवा के मार्ग में एक बाधा थी। दूसरी नसीहत में उन्होंने 'सुल्तान' को शिकार छोड़ने के लिए कहा।[39] *'शेख'* मुनाव्वर ने उन कीमती उपहारों को भी लेने से मना कर दिया जिन्हें 'सुल्तान' फिरोज उन्हें भेंट करना चाहते थे।[40] इसी समय *'शेख'* कुतुबुद्दीन और *'शेख'* नसीरूद्दीन महमूद में भी भेंट हुई। दोनों *'शेख'* निजामुद्दीन औलिया को याद कर बहुत रोये। *'शेख'* नसीरूद्दीन ने उनके साथ समां सुनकर समय व्यतीत किया तत्पश्चात् उन्होंने विदा ली। कुछ समयपरान्त 21 नवम्बर 1356 ई. को *'शेख'* कुतुबुद्दीन मुनाव्वर का देहान्त हो गया। इससे कुछ समय पूर्व ही 16 सितम्बर 1356 ई. को नसीरूद्दीन की भी मृत्यु हो चुकी थी।[41]

'शेख' कुतुबुद्दीन मुनाव्वर की मृत्यु के पश्चात् उनका पुत्र नुरूद्दीन उनका उत्तराधिकारी बना। शम्स–ए–सिराज अफीफ उनहें अपना 'ख्वाजा' मानते थे तथा 'सुल्तान' फिरोज उनका बड़ा सम्मान करते थे।[42] अफीफ के माध्यम से ही हमें *'शेख'* नुरूद्दीन व 'सुल्तान' के मध्य वार्तालाप की सूचना मिलती है। उसके अनुसार हिसार–फिरोजा के निर्माण के पश्चात् फिरोज हांसी में *'शेख'* से मिलने आये। 'सुल्तान' की *'शेख'* के प्रति श्रद्धा का हमें तब पता चलता है जब 'सुल्तान' को देखकर *'शेख'* उठने लगते हैं तथा 'सुल्तान' उनसे वहीं बैठे रहने का आग्रह करते हैं। मिलने के पश्चात् 'सुल्तान' *'शेख'* को हिसार–फिरोजा में बसने के लिए कहते हैं, जिससे की हिसार–फिरोजा संकटों से दूर रहे तथा पूर्ण रूप से आबाद व सम्पन्न रहे। उन्होंने इसके लिए 'खानकाह' के निर्माण की भी अनुमति मांगी। *'शेख'* नुरूद्दीन ने 'सुल्तान' से पूछा ''मेरा हिसार–फिरोजा में निवास करना शाही आदेशानुसार है या मेरे अधिकार में है।'' 'सुल्तान' ने कहा ''मैं किस प्रकार आदेश दे सकता हूँ, यह आपके अधिकार में है।'' इस पर *'शेख'* ने हांसी में रहने की इच्छा जताई। 'सुल्तान' ने कहा, ''आपको अच्छा लगे वही करो। आपके आशीर्वाद से हिसार भी आबाद रहेगा।'' जब मंगोलों ने यहाँ हांसी में आक्रमण किया तो यह क्षेत्र *'शेख'* नुरुद्दीन के कारण ही सुरक्षित रह पाया।'[43] 1359 ई. में *शेख* की मृत्यु हो गई।

हांसी में स्थित *'चहार कुतुब'* सूफी विचारधारा से सम्बन्धित सबसे महत्वपूर्ण भवन है। *शेख* जमालुद्दीन व उनकी वंश परम्परा से सम्बन्धित चार सूफी, जिनका वर्णन हमने उपर किया है, कि यहाँ कब्र है। जब तक हांसी प्रान्तीय मुख्यालय बना रहा बड़ी संख्या में लोग *'चहार कुतुब'* में आते रहे परन्तु 1354 ई. में हिसार–फिरोजा की स्थापना के पश्चात् हांसी का महत्व घटता गया। 1947 ई. में हुए साम्प्रदायिक दंगों के कारण यहाँ मुस्लिम आबादी नाम मात्रा की रह गई। चहार कुतुब भी केवल स्थानीय महत्व तक ही सीमित रह गया। वर्तमान में यह मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अधीन हैं।[44]

---

[39] *वही,* पृ. 65–66
[40] रिजवी, *सूफीज्म, जिल्द प्रथम,* पृ. 179
[41] अफीफ, *पूर्व उद्वृत,* पृ. 62
[42] *वही,* पृ. 72
[43] *वही,* पृ. 72
[44] क्रिश्चियन स्टॉल, *पूर्व उद्वृत,* पृ. 17–18